भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

पत्र सं.-सीआर-14 / सीडीसी (1) / 2019-भाग फाइल

दिनांक : 06.08.2019

नौमनि आदेश संख्या - 03/2019

18 NOV 2019

विषय : सीडीसी जारी करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए मैट्रिक प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना - संबंधी।

जबकि, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने साकानि 883 (ई) दिनांक 14.07.2017 के माध्यम से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम (सीडीसी) नियम, 2017 अधिसूचित किये हैं।

2. एवं जबकि, उक्त नियम 1 के उप नियम (2) के अनुसार दिनांक 11.01.2018 से उक्त नियम प्रवृत्त हुए हैं।

3. एवं जबकि, नियम 4 का उप नियम (5) यह विहित करता है कि उपरोक्त नियमों के अंतर्गत सतत् उन्मोचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उक्त नियम के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए आवेदक का दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

4. एवं जबकि, भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर एक भूतपूर्व सैनिक को भारतीय सीडीसी जारी करने के लिए आवेदन का निपटान करने हेतु नाविक पाल द्वारा इस कार्यालय को आवश्यक निदेश देने के लिए कहा गया है।

5. और जबकि, यह ध्यान में आया है कि कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के संख्या 15012, 8/82 स्थापना (डी) दिनांक 12 फरवरी, 1986 के माध्यम से भूतपूर्व- सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा एवं डाक में पुन: नियोजन) (संशोधन) नियम, 1986 अधिसूचित किया गया है कि समूह सी एवं डी के किसी भी आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए जहाँ न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता मैट्रिक है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकाधिकार से, जिस भूतपूर्व सैनिक ने भारतीय सेना से वर्ग-I परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा नौसेना या वायुसेना से उत्तीर्ण की है एवं जिसने केन्द्र के सशस्त्र बलों में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है उसकी शैक्षणिक पात्रता में छूट दी जा सकती है एवं अनुभव एवं अन्य पात्रताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

--2

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

6. अब इसलिए, नौवहन महानिदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 456 की उप धारा (1) के साथ पठित दिनांक 17.12.1960 की भारत सरकार की अधिसूचना साआ 3144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन (सीडीसी) नियम, 2017 के नियम 4(5) के अंतर्गत यथापेक्षित रूप से सीडीसी जारी किए जाने के लिए 10वीं उत्तीर्ण होने की अपेक्षा को उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में शिथिल करते हैं जिन्होंने भारतीय सेवा की क्लास - I परीक्षा या नौसेना या वायुसेना की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी की हो तथा जो सशस्त्र बलों द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, बशर्ते वे सीडीसी नियमों के अंतर्गत दिए गए अन्य पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हों।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

12/11/19

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
1. नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई।
2. ई-गवर्नेंस अनुभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे नौमनि की वेबसाइट पर लगाएं।
3. नौमनि के वरिष्ठ निजी सचिव।

राभा 2019/13
प्राप्त :- 16/08/2019:1115

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

F.No. CR-14/CDC(1)/2019- Part File

Date: 06.08.2019

DGS Order No. 03 of 2019

Subject: **Consideration of Matriculation Certificate issued by Armed Forces to ex-servicemen for issuance of CDC – reg.**

Whereas, the Ministry of shipping, Government of India vide G.S.R. 883(E) dated 14.07.2017 has notified Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017.

2. And whereas, the said rules have come into force with effect from 11. 01. 2018, in accordance with sub-rule (2) of Rule (1) of said rules.

3. And whereas, sub-rule (5) of Rule (4) prescribes that 'an applicant must have passed 10th standard', in order to meet the eligibility conditions for obtaining Continuous Discharge Certificate under the said rules.

4. And whereas, this office has received reference from Shipping Master for necessary directives for disposing off an application for Indian CDC by an ex-serviceman on the basis of Matriculation Certificate issued by Indian Army.

5. And whereas, it is noted that Government of India, Ministry of Personnel Public Grievance and Pensions (Department of Personnel and Training) has vide No. 15012/8/82 Estt (D) dated 12th February, 1986 Ex-servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) (Amendment) Rules, 1986 notified that for appointment to any reserved vacancy in Group C & D posts, where the prescribed minimum educational qualification is matriculation, the appointing authority may, at his discretion relax the minimum educational qualification in favour of an ex-serviceman who has passed the Indian Army Class I Examination or equivalent examination in the Navy or the Air Force, and who has put in at least 15 years of service in Armed Forces of the Union and is otherwise considered eligible for appointment to hold the post, in view of his experience and other qualifications.

6. Now therefore, the Director General of Shipping, Ministry of Shipping, Government of India in exercise of power conferred under sub-section (1) of Section

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-25752029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

456 of the Merchant Shipping Act, 1958 read with Government of India's Notification S.O. 3144 dated 17.12.1960, relax the requirement of 10^{th} Standard pass for issuance of CDC as required under Rule 4(5) of Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 2017, in the cases of ex-servicemen who have passed Indian Army Class I Examination or equivalent examination in the Navy or the Air Force, and who have put in at least 15 years of service in Armed Forces of the Union and produce certificate granted by the respective armed forces to that effect, subject to meeting other eligibility criteria as per said CDC Rules.

7. This Order shall come into force with immediate effect.

(Amitabh Kumar) 6/8/17
Director General of Shipping &
Addl. Secretary to the GoI

To

1. SEO Mumbai/Kolkata/Chennai.
2. E-governance branch for placing in the DGS website.
3. Sr. PS to DG.
4. हिंदी अनुभाग को हिंदी अनुवाद के लिए.